कार्यालय, नगर पालिका परिषद बुलन्दशहर

पत्रांक : 624 / सा0वि0 / 2020–2021 दिनांक : 7–9–2020

प्रस्ताव आमंत्रण सूचना

नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर नगर क्षेत्र के 27 वार्डो में स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत शासनादेश दिनांक 19.12.2018 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप डोर–टू–डोर कूड़ा कचरा एकत्र करने एवं कूड़े को सैग्रिगेशन एवं प्रोसेसिंग का कार्य कराने के लियें इच्छुक फर्म / संस्था / ठेकेदार से प्रस्ताव आमंत्रित करती है। उक्त प्रस्ताव नगर पालिका परिषद के कार्यालय में रखे निविदा बॉक्स में दिनांक 08-9-20 से 22-9-20 तक आमंत्रित किये जाते है। जो दिनांक 23-9-20 प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ताओं की उपस्थिति में खोले जायेगें। उक्त कार्य सोलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट नियम 2016 की गाईड लाईन के अनुसार फर्म / संस्थाओं को सम्पादित करना होगा।

क्र0सं0	कार्य का विवरण	शुल्क	कार्य की अवधि
1.	वार्ड संख्या– 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33,	2000/– 18%GST अतिरिक्त	एक वर्ष

–: शर्ते :–

1. ठेकेदार फर्म / संस्था को जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, पेन कार्ड, जी0एस0टी0 पंजीकरण, श्रम विभाग का पंजीकरण, की स्व–प्रमाणित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न करनी अनिवार्य होगी।
2. उक्त प्रस्ताव आमंत्रण की शुल्क राशि अंकन 2000 / –रूपयें का बैंक ड्राफ्ट अधिशासी अधिकारी के पद नाम से बनवाकर मूल रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. उक्त कार्य के लियें नगर विकास अनुभाग में इम्पैनल्ड फर्मो / कम्पनियों को अनुभव के आधार पर प्राथमिकता दी जायेगी।
4. फर्म को उक्त कार्य का प्रस्ताव स्वीकृत होने के उपरान्त नियमानुसार देय स्टाम्प पर अनुबंध पत्र गठित करना होगा, जिसके लियें पालिका के वाहनों का प्रयोग करने हेतु अंकन 25 लाख रूपयें की बैंक गारन्टी अधिशासी अधिकारी के पद नाम से बंधक कराकर मूल रूप में जमा करनी अनिवार्य होगी।
5. उपरोक्त कार्यो के प्राप्त प्रस्तावों को स्वीकृत / अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा।
6. कार्य के संबंध में अनुबंध की शर्तो एवं अन्य शर्तो कार्यालय के स्वास्थ्य अनुभाग में किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती है।

नोट – उक्त प्रस्ताव आमन्त्रण की सूचना विज्ञप्ति एवं शर्तों को जिले की वेबसाईट www.bulandshahar.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

7-9-20

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद,
बुलन्दशहर।

अध्यक्ष
नगरपालिका परिषद,
बुलन्दशहर।

\EO (691)

कार्यालय, नगर पालिका परिषद बुलन्दशहर

डोर-टू-डोर कूड़ा कचरा प्रबंधन एवं सैग्रीगेशन

-: शर्तें :-

1. स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत सोलिड वैस्ट मैनेजमेन्ट 2016 के अन्तर्गत निर्गत गाईड लाईन के अनुसार घर–घर से कूडा–कचरा एकत्र करने एवं सैग्रीगेशन का कार्य इच्छुक संस्था/फर्म/ठेकेदार को प्रतिदिन करना होगा।
2. संस्था/फर्म/ठेकेदार को उक्त कार्य के लियें वाहनों की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। यदि नगर पालिका के वाहनों का उपयोग किया जाता है तो पालिका के वाहनों की समस्त जिम्मेदारी संस्था/फर्म/ठेकेदार की रहेगी।
3. संस्था/फर्म/ठेकेदार को इस कार्य के लियें श्रमिकों की व्यवस्था भी स्वयं के स्तर पर करनी होगी, श्रमिकों को किसी भी प्रकार का मानदेय नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर के द्वारा देय नहीं होगा, समस्त जिम्मेदारी संस्था/फर्म/ठेकेदार की होगी।
4. संस्था/फर्म/ठेकेदार को कूड़ कचरा एकत्र करने के लियें नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर द्वारा शासन के निर्देशानुसार निर्धारित यूजर चार्ज के गजट अनुसार शुल्क की प्राप्ति प्रत्येक परिवार (जहां से कूड़ा कलैक्शन किया जायेगा) से की जायेगी। जिसकी संस्था/फर्म/ठेकेदार को रसीद निर्गत करनी होगी। शुल्क की प्राप्ति में किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर संस्था/फर्म/ठेकेदार को अपने श्रमिक को तत्काल बदलना होगा।
5. संस्था/फर्म/ठेकेदार को इस कार्य में लगाये गये श्रमिको व सुपरवीजन कर्मचारियों के हित लाभ के लियें बीमा कराना अनिवार्य होगा, जिसकी सूची नगर पालिका में उपलब्ध करानी होगी।
6. संस्था/फर्म/ठेकेदार का प्रत्येक श्रमिक क्षेत्र में डयूटी के दौरान कूडा–कचरा एकत्र करने हेतु वर्दी एवं सुरक्षा किट संस्था/फर्म/ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी तथा श्रमिक का आई कार्ड भी नगर पालिका परिषद से तैयार कराकर श्रमिकों को उपलब्ध कराना होगा। जिस पर होने वाला समस्त व्यय संस्था/फर्म/ठेकेदार को वहन करना होगा।
7. संस्था/फर्म/ठेकेदार को पालिका के वाहनों का उपयोग करने पर डीजल की खपत व वाहनों का अनुरक्षण स्वयं कराना होगा। किसी भी स्थिति मे पालिका द्वारा व्यय नहीं किया जायेगा।
8. संस्था/फर्म/ठेकेदार को इस कार्य के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये दिशा–निर्देशों का अनुपालन शत–प्रतिशत करना होगा।
9. संस्था/फर्म/ठेकेदार को इस कार्य में लगाये गये श्रमिकों को मानदेय/पारिश्रमिक का भुगतान शासन/प्रशासन द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार करना होगा, किसी भी श्रमिक/कर्मचारी का शोषण संस्था/फर्म/ठेकेदार द्वारा नहीं किया जायेगा तथा संस्था/फर्म/ठेकेदार एवं श्रमिकों के बीच किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर उसके निस्तारण की समस्त जिम्मेदारी संस्था/फर्म/ठेकेदार की होगी।
10. यह कि संस्था/फर्म/ठेकेदार को कार्य आवंटित किये जाने के उपरान्त कार्य मानकों के अनुरूप नहीं किये जाने पर नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर द्वारा प्रथम नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी कार्य में सुधार नहीं होने की दशा में द्वितीय पक्ष का अनुबंध पत्र निरस्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा।

7.9.20

अधिशासी अधिकारी | अध्यक्ष

---------2-

\EO (692)

11. यह कि उक्त कार्य के प्रस्ताव स्वीकृति उपरान्त समस्त प्रकार के करों की जिम्मेदारी संस्था/फर्म/ठेकेदार की होगी।
12. यह कि उक्त कार्य के लियें संस्था/फर्म/ठेकेदार को नगर पालिका द्वारा भूमि चिन्हित कर दी जायेगी। इस भूमि पर संस्था/फर्म/ठेकेदार द्वारा केवल कूड़ा–कचरा एकत्र करने एवं प्रोसेसिंग का कार्य ही किया जायेगा। किसी भी दशा में भूमि को अन्य प्रयोग में नहीं लायेगा।
13. यह कि संस्था/फर्म/ठेकेदार द्वारा यूजर चार्ज की प्राप्ति से ही समस्त व्यय (खर्चे) वहन करने होगें। नगर पालिका द्वारा किसी प्रकार से धनराशि का भुगतान संस्था/फर्म/ठेकेदार को नहीं किया जायेगा।
14. यह कि संस्था/फर्म/ठेकेदार का कार्य संतोषजनक होने की स्थिति में आगामी वर्ष के कार्य हेतु नवीनीकरण पर नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर द्वारा विचार किया जायेगा।
15. यह कि संस्था/फर्म/ठेकेदार द्वारा एकत्र किये गये कूड़े को प्रोसेसिंग करके निस्तारण करने से प्राप्त होने वाली धनराशि भी प्रथम वर्ष में संस्था/फर्म/ठेकेदार की होगी। यदि आगामी वर्ष के लियें संस्था/फर्म/ठेकेदार के नवीनीकरण पर नगर पालिका द्वारा विचार किया जाता है तो संस्था/फर्म/ठेकेदार को प्रत्येक माह की आय (इन्कम) की 20प्रतिशत धनराशि नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर को प्रदत्त करनी होगी।
16. यह कि संस्था/फर्म/ठेकेदार के श्रमिकों द्वारा घर–घर से एकत्र किये गये कूडे को किसी भी दशा में वार्ड में स्थित ढलावघर पर नहीं डाला जायेगा, कूड़ा कचरा एकत्रीकरण के लियें नगर पालिका द्वारा उपलब्ध कराये गये स्थान पर ही पहुंचाना होगा।
17. यह कि संस्था/फर्म/ठेकेदार को नगर के 27 वार्डो में संचालित व्यवसायिक गतिविधियों क्रमशः होटल, ढ़ावा, नर्सिंग होम, समस्त प्रकार की दुकाने एवं कारखानों से भी कूड़ा कचरा एकत्र करना होगा, जिसका शुल्क भी गजट के अनुसार ही वसूल किया जायेगा।
18. संस्था/फर्म/ठेकेदार को उक्त कार्य में शारीरिक रूप से स्वस्थ्य श्रमिकों को ही लगाना होगा। किसी भी दशा में बाल श्रमिकों से कार्य नही कराया जायेगा तथा श्रमिक द्वारा नशीले पद्धाथों का सेवन कार्य के समय नहीं किया जायेगा।
19. यह कि संस्था/फर्म/ठेकेदार को 27 वार्डो के अन्तर्गत कूड़ा कचरा एकत्र करने वालें आवासीय घरों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की सूची वार्ड वाईज तैयार कर, नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर को उपलब्ध कराना होगी।
20. यह कि उक्त कार्य के लियें प्रथम पक्ष नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर एंव द्वितीय पक्ष संस्था/फर्म/ठेकेदार कहलायेगी। इन दोनों के मध्य किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की दशा में न्यायिक क्षेत्राधिकार, जनपद–बुलन्दशहर होगा।

7-9-20

अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद, बुलन्दशहर।	अध्यक्ष नगरपालिका परिषद, बुलन्दशहर।

\EO (693)